District Registry Office,Nalanda

Non Encumbrance Certificate

RTPS No.:-
030118271002301766

प्रमाण पत्र सं0 1646/2023

चूँकि श्री ARBIND KR SINGH & ANIL KR SINHA ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता0 01/01/1994 से ता0 16/12/2023 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारो और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं0	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	वर्ष
1	DSRO, NALANDA	BIHAR SHARIF	MAGHRA(129)	344,374,371,338	856,859,860,861	240.625 D		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –SURESH KUMAR 19-12
UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –MAHENDRA CHAUDHARY 19.12
O.S.

कार्यालय – District Registry Office, Nalanda

तारीख – 19/12/2023

जिला अवर निबंधक
नालन्दा, बिहार शरीफ
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19-12-2023

टिप्पणी–

1. ☑ इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)
2. ☑ निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविश्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. ☑ किन्तु चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. ☐ और चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक– 1646 दिनांक– 19/12/2023

शाखा प्रबंधक CENTRAL BANK OF INDIA के पत्र दिनांक 11/12/2023 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला अवर निबंधक
नालन्दा, बिहार शरीफ
19-12-2023